न्यायालय उपखण्डे अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/161
मुकदमा नम्बर 52/2024

दर्ज दिनांक– 22.04.2024

शरद पुत्र श्री ओमप्रकाश जोशी जाति ब्राहमण निवासी मुकुन्दगढ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद प्लॉट नं. 81 ए–13 नियम स्वामी विवेकानन्द स्कूल, गौरयी बोरीवली वेस्ट मुम्बई

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सुरेश कुमार शर्मा
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 19.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 18 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 364 रकबा 1.300 है0 जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शरत कुमार पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर शरद पुत्र ओमप्रकाश जोशी दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट 2384 दिनांक 11/7/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 18 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 364 रकबा 1.300 है0 जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शरत कुमार पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर शरद पुत्र ओमप्रकाश जोशी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

157

Scanned with CamScanner